न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 98 / 2013 / बाड़मेर

अपीलांट

1. सहीदो बेवा हुसैन उम्र 66 वर्ष
2. रमजान पुत्र हुसैन उम्र 46 वर्ष
3. इब्राहीम पुत्र हुसैन उम्र 36 वर्ष
4. जम्मी पुत्री हुसैन उम्र 41 वर्ष
5. लुम्भा पुत्र भूरा उम्र 46 वर्ष
6. भेरा पुत्र भूरा उम्र 46 वर्ष
7. खतू बेवा हलीम उम्र 91 वर्ष
8. नूरा पुत्र इस्माईल उम्र 46 वर्ष
9. ईशाक पुत्र इस्माईल उम्र 44 वर्ष
10. शेरा पुत्र इस्माईल उम्र 42 वर्ष
11. वली पुत्र इस्माईल उम्र 34 वर्ष
12. अमरा पुत्र इस्माईल उम्र 24 वर्ष
13. हवी पत्नी इस्माईल उम्र 66 वर्ष
14. मीयण पुत्र दीने खां उम्र 46 वर्ष
    जाति मुसलमान, निवासी देवनगर (भेडाना) तहसील–गुड़ामालानी जिला–बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1. गाजी पुत्र खेरूखां उम्र 56 वर्ष
2. अलीखां पुत्र खेरूखां उम्र 76 वर्ष
3. करीमों पत्नी बशीर उम्र 28 वर्ष
   जाति मुसलमान, निवासी देवनगर (भेडाना) तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर।
4. सरपंच, ग्राम पंचायत भेडाणा
5. श्रीमान तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
6. श्रीमान पटवारी हल्का, भेडाणा, तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

उपस्थिति

1. वकील श्री करनाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नृसिंह सोलंकी रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की ओर से ।

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 102 / 2015 / बाड़मेर

अपीलांट

1. लुम्भाराम पुत्र भूराराम
2. भैराराम पुत्र भूराराम जाति कलबी निवासी भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1. गाजीखां पुत्र स्व. खैरूखां.
2. अलीखां पुत्र खैरूखां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी देवनगर, भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
3. मु.सइदो बेवा हुसैन
4. रमजानखां पुत्र हुसैन
5. इब्राहीम पुत्र हुसैन
6. श्रीमती जमी पुत्री हुसैन पत्नी सालू
7. श्रीमती करीमा पुत्र हुसैन पत्नी बसीर जाति सिन्धी मुसलमान निवासी छाजाल व भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
8. श्रीमती खतु बेवा हलीम
9. नूरा पुत्र ईस्माईल
10. ईशाक पुत्र ईस्माईल
11. शेरा पुत्र ईस्माईल
12. वला पुत्र ईस्माईल
13. अमरा पुत्र ईस्माईल

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

14.हवी पत्नी ईस्माईल
15.मीयण पुत्री दीनेखां पत्नी लुकमान
जाति सिन्धी मुसलमान निवासी छाजाला
16.सरपंच, ग्राम पंचायत भेडाणा
तहसील गुड़ामालानी
17.श्रीमान तहसीलदार, गुड़ामालानी
18.पटवारी हल्का भेडाणा तहसील
गुड़ामालानी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के राजस्व वाद संख्या 13/2007 बअनवान गाजी वगैरा बनाम सईदां वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 10.05.2013 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नृसिंह सोलंकी रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– **08.05.2019**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 व 02 ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि अपीलांटगण तथा उतरदाता संख्या 03 के पूर्व पुरूष कादर खां के नाम का वक्त भू–पैमाईश के तात्कालिक राजस्व ग्राम भेडाणा, तहसील बाड़मेर वर्तमान राजस्व ग्राम देवनगर, तहसील गुड़ामालानी में खातेदारी का खेत खसरा संख्या 1008 रकबा 61.15 बीघा व खसरा संख्या 1025 रकबा 16 बीघा कुल रकबा 77.15 बीघा आई हुई है। कादर खां के चार पुत्र मोमदा, खेरू, हलीम उर्फ हलिया व दीना खां थे। कादर खां की मृत्यु सन् 1963 में होने पर उतरदातागण संख्या 01 व 02 के नाम नामान्तरकरण संख्या 26 में नाम दर्ज नहीं किये तथा कादर के शेष तीनों पुत्रों के नाम से भरकर पारित कर दिया। जबकि उक्त भूमि में कादर खां के चौथे पुत्र का भी बराबर का हक–हिस्सा था। अधीनस्थ न्यायालय का मुख्यालय बाड़मेर से दिनांक 07.11.2012 को गुड़ामालानी कर दिया गया। इस बात की जरिये नोटिस कोई भी सूचना अपीलांटगण को नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गई तथा मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उतरदाता संख्या 01 व 02 की साक्ष्य लेकर आलोच्य निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई। अपीलांटगण को हस्तगत वाद के कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुए, जिस कारण अपीलांटगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकें। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

निर्धारित किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन न कर अपनी मनमर्जी से उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में किसी तरह की कोई तनकीयात कायम नहीं की गई है, जबकि किसी भी दावा व प्रतिदावा के आधार पर न्यायालय को तनकीयात कायम की जानी चाहिये तथा तनकीयात के आधार पर ही तनकीवार निर्णय करना चाहिये, किन्तु उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का मुख्यालय बाड़मेर से दिनांक 07.11.2012 को गुड़ामालानी कर दिया गया। इस बात की जरिये नोटिस कोई भी सूचना अपीलांटगण को नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गई तथा मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उतरदाता संख्या 01 व 02 की साक्ष्य लेकर आलोच्य निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई। अपीलांटगण को हस्तगत वाद के कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुए, जिस कारण अपीलांटगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकें।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में किसी तरह की कोई तनकीयात कायम नहीं की गई है, जबकि किसी भी दावा व प्रतिदावा के आधार पर न्यायालय को तनकीयात कायम की जानी चाहिये तथा तनकीयात के आधार पर ही तनकीवार निर्णय करना चाहिये, किन्तु उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा निर्धारित किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन न कर अपनी मनमर्जी से उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि वक्त बन्दोबस्त कादरखां के नाम दर्ज होने से उसके चारों पुत्रों के परिवार का विवादग्रस्त आराजी पर हक है और इसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है। वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की अपने 1/4 हिस्से पर ढाणियां, टांके एवं चारबाड़े विद्यमान है। नामान्तरकरण संख्या 26 मौजा भेडाणा में वादीगण के पिता खेरूखां का कादरखां की फौतदगी पर इन्द्राज नहीं किये जाने की कोई वजह रिकार्ड पर मौजूद नहीं है। इस प्रकार पारित उक्त नामान्तरकरण की प्रक्रिया को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जिसमे किसी तरह की कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का मुख्यालय बाड़मेर से गुड़ामालानी स्थानान्तरित होने की अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलांट दिनांक 16.07.2013 को गुड़ामालानी गया तथा अधिवक्ता श्री दीपूसिंह सारण से पता करवाया तब उन्होने बताया कि आपका दावा दिनांक 10.05.2013 को निर्णत हो चुका है, जिस पर अपीलांट ने दिनांक 16.07.2013 को ही नकल निर्णय की मांगी, जो उसे दिनांक 16.07.2013 को ही प्राप्त हो गई। तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं है तथा अपील पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद उतरदाता संख्या 01 व 02 की ओर से बाबत खातेदारी घोषणा का इस कारण पेश किया गया कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार स्व0 कादरखां की मृत्योपरांत उसके व्यक्तिगत कानून मुताबिक विरासतन का भरा गया नामान्तरण संख्या 26 में मुताबिक उसके चार पुत्रों में से केवल 3 पुत्रों– मोमदा, हलीम के पुत्र ईसमाईल तथा दीनाखां के पुत्र हलीम के नाम ही भरा गया जबकि चौथे पुत्र खेरू या उसके वारीसान का नाम छोड़ दिया गया। मृतक खातेदार कादरखां की फौतदगी पर भरे गये नामानंतरण में नियमानुसार उसके सभी वारिसानों के नाम खातेदारी में मुताबिक हक–हिस्से दर्ज होने चाहिए थे। अपीलाधीन निर्णय से रेस्पोडेंट 1 व 2 के नाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

विवादित आराजी में खातेदारी घोषित की गई है। अपील मीमों में भी अपीलांट ने उतरदाता संख्या 1 व 2 को स्व0 कादरखां के पुत्र दीनाखां के वारिस नहीं होने बाबत कोई कथन नहीं किया है। अपीलाधीन निर्णय में वाद सुनवाई बाबत निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया संबंधी अपीलांट पक्ष की आपतियां है जिनमें उन्हे समुचित सूचना, सुनवाई का अवसर इत्यादि नहीं दोनों है। पत्रावली तनकीयात कायमी की स्टेज पर होने के बावजूद बिना तनकी कायमी एवं एक मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत आवेदन पर निर्णय की पालना में बिना मौका रिपोर्ट लिये एकतरफा कार्यवाही कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद विचारण की विहित प्रक्रिया का पूर्ण पालन किये बिना पारित अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। अतः उपरोक्त सभी तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 13/2007 बअनवान गाजी वगैरा बनाम सईदां वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2013 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर तनकीयात कायम कर एवं तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार पुनः निर्णय पारित करे।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 08.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner